


2018/00108

FORM NO. 3
फर्द अहकाम

दावा

केस नं
भा.का.ग

उपखण्ड नजिरात मुकाम रामगढ शेखावाटी
पता नं. 88 A.T सिव् 37/18
सं. 2018

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.6.18	<p>पतावली वाजद्व लोन डिपॉजिट। डेम्प कोर्ट रामगढ में पेश हुई दावा इन्तर्गत द्वारा 88 A.T सिव् दर्त नजिरात की वादीगण में वाद पेश कर किया कि ग्राम खसला जगदीश के खसरा नम्बर 19 का विभाजन दरमियान नजिरात संख्या 143 के डाटा खसरा नम्बर 19/1 व नम्बर 2.22 के मुसारा पुत्र वेंगराम तथा खसरा नम्बर 19/2 व नम्बर 3-75 के वृजलाल, मुशाफ पुत्रगण महादारा, पतावली के महादारा के नाम स्वीकार हुआ लेकिन नवीन रिकॉर्ड लागू होने जाने के दौरान खसरा नम्बर 19/1 का नया नम्बर 28/1 व 19/2 का नया नम्बर 28/2 बना कर गेट काबल करके की जमाबन्दी में लगाया हुआ है, पतावली में जमाबन्दी तैयार करने समय खसरा नम्बर 28/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 28/2 दर्त हो गया है व 28/2 के स्थान पर 28/1 ग्रहण के जमाबन्दी व नकसा भी है</p>	 <p>पुनर्जा के</p>

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
जिले अजमेर
जाम पंचायत

खजारा नम्बर 281। रकबा 2.22 है जो मूरा
 पुत्र नैनाराम के नाम से था के फौज होने
 पर वर्तमान में शिवनारायण, जगदीश झाड, दयाराम,
 बलदेवराय पुत्रगण मुराराम के नाम पर खजारा
 नम्बर 281/2 रकबा 3.75 बृजलाल, मुशाफ-चन्द
 पुत्रगण महादराम, पतानी देवी वेपाट महादराम
 के नाम एवं नम्बर शीट में खजारा नम्बर
 281। व 281/2 के मध्य डोड्डि सीमा रेखा
 को सुताविम रकबा डुकरत डुरने का
 कोई फरमान की कृपा है।

पत्नी एवं पत्नी उपलब्ध
 दस्तावेजात यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074-77
 खाता संख्या - 33, जमाबन्दी सम्वत् 2074-77
 खजारा नम्बर - 36, नम्बर क्षेत्र 281। व 281/2
 सहित बेवारा 18.12.08, गिलाण क्षेत्रफल
 पसुमारान की आई. डी. आई. पेडु मि
 शामिल पत्नी डी आई. का कवलीकन
 विद्या गया।

उपरोक्त विवेचन एवं दस्तावेजात
 के उपलोकन से स्पष्ट है कि ख. न.
 191। व 191/2 का नम्बर नम्बर नम्बर
 281। व 281/2 पर। खजारा नम्बर 191।
 रकबा 2.22 है के खजारा शिवनारायण का
 नम्बर ख. न. 191/2 के रकबा 3.75 के नाम

को जमानकी बगले समय 28/1 के
बकबे व खातेदार लिखा 28/2 के बकबे
व खातेदार का कापय में बदल
दिने वगैरे के जो गलत हो गया
वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

कॉन्क्लूजन

वादीगण का वाद वास्तविकतया
88 R.T Act स्वीकार किया जाकर
खदारा नम्बर 28/1 व 28/2 की
परिमाण खातेदारी ^{व तुरमीन} किया की जाती
है तथा खदारा नम्बर 28/1 का बकबा
2.22 है के खातेदार शिवानराम, जयदीन
प्रसाद, दयाराम, बलवाराम पुत्रगण गुराराम
भाति - पर शा. देह को तथा खदारा
नम्बर 28/2 का बकबा 3.75 है के
खातेदार बृजलाल, सुभाषचन्द पुत्रगण
महादराम व पताजी देवी पत्नी महादराम
शा. देह के काम उद्घोषित किया जाता
है तदनुसार रामगढ़ तदनुसार सधराम
रिचार्ड के कमल दरामद करे पतापत्री
केवल सुभात वेकर नम्बर के काम के
तस्मिल दस्त की है